

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर

No.: L-201-22-1145
AD- (K) /JD/ DD
Section- Aniray
Date 5 JUL 2021 C.H.E.

क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 03/7/2021
प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।

विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश
मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।
संदर्भ:- आपका ज्ञापन क्रमांक 1563/214/आउशि/सम/2021 दिनांक 16.06.
2021

-----00-----

2/ विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।
राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के
लिये शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति
संलग्न प्रेषित है।
कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए
मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का
कष्ट करें।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(ए.आर. खान)

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर
3. की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
गार्ड फाईल।

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

समन्वय

Pankaj
08/07/2021

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए

सत्र 2021-22

हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2021-22

1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितंबर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा

CE

किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.2 पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-
विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"
- 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी. की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।
- 3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

प्रवेश सूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 15 सितम्बर के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7 "राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के



विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्र को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यर्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों में प्रवेश की पात्रता होगी। क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर प्रवेश के लिए विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी./एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।
- (ख) स्नातकोत्तर **प्रथम वर्ष उत्तीर्ण** आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-
1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- (क) "विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछडा वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अनसूचित जाति/ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा :-

- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसे संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

“जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण-पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।”

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र

प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-
- 8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-कैटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्ग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।
9. प्रवेश हेतु अर्हताएं :-
- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष/वर्षों में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग क आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवायें एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

- (क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा **27 वर्ष** मान्य की जाएगी। बी.पी.एड.एवं एम.पी.एड. के लिए निर्धारित आयु सीमा 25 एवं 28 वर्ष होगी।
- (ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
- (ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।
- (घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ङ) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/महिले आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अभ्यर्थी/आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
10. **प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-**
- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।
- (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
- (ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :-

- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
- (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों/भूतपूर्व सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के सबध में क्षेत्रीय आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के

प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वार्धर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

14 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
15 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

16 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

127 जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

128 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

129 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि- "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत

(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट 03 प्रतिशत

या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

- (ग) "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 04 प्रतिशत
- (घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में गुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को 04 प्रतिशत

- (च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को 05 प्रतिशत

- (छ) राज्यपाल स्काउट्स 05 प्रतिशत

- (ज) राष्ट्रपति स्काउट्स 10 प्रतिशत

- (झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कॅडेट 10 प्रतिशत

- (य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कॅडेट 10 प्रतिशत

- (र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कॅडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कॅडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत

- 13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / क्विज / रूपांकन प्रतियोगिताएं :-

- (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत

- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत

- (2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत

- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत

- (ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत

- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-

- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त 15 प्रतिशत

करने वाले को

- (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत

भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत

15 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

- (क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत
- (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम

ने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी।
ह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल
गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा।
पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर
प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन
करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया
जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय
में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही
अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप
में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की
कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन
आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति
में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध
आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी
महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ
सहपठित करते हुए लागू होगा।

16 विशेष :-

- 16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा
कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को
निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या
अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य
को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में
लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को
होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त
होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त
अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की
आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए
स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी
किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च
शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन
/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

Govt. Naveen College Bori
Session 2021-22
List of Students of B.Sc. I

S.No.	NAME OF STUDENT	FATHER'S NAME	ADM. DATE	DoB	CASTE
1	CHAMELI SAHU	BALRAM	27.08.2021	20.12.2002	OBC
2	ROSHAN PATEL	MADHAV	27.08.2021	18.07.2002	OBC
3	LAXMI	TUKARAM	27.08.2021	07.03.2003	GEN
4	MANISHA	SUNDAR LAL	27.08.2021	20.02.2004	SC
5	RANIYA	NARESH KUMAR	31.08.2021	03.12.2001	OBC
6	RUMATI	GOVARDHAN	31.08.2021	05.09.2002	SC
7	PALLAVI	UDHO SINGH	31.08.2021	22.07.2004	OBC
8	KAWERI	SHAMBHU RAM	31.08.2021	13.12.2002	OBC
9	MANISHA SAHU	DUKHIT RAM	31.08.2021	09.11.2002	OBC
10	KHUSHABOO	TOMAN LAL	31.08.2021	26.09.2003	OBC
11	SAKSHI	DOULAT RAM	31.08.2021	28.12.2003	OBC
12	NITISH	BHAGWATI PRASAD	03.09.2021	14.06.2003	OBC
13	RAJESHWARI DHANKAR	LEELARAM	03.09.2021	21.02.2003	OBC
14	VIDYA YADAV	DASHRATH	03.09.2021	12.02.2002	OBC
15	LEENA NISHAD	KRISHNA	03.09.2021	23.07.2003	OBC
16	MADHU	PAWAN KUMAR	07.09.2021	20.10.2003	OBC
17	NEHA	KHEMANT	07.09.2021	23.03.2003	OBC
18	AARTI	RAM KUMAR	07.09.2021	04.04.2003	OBC
19	HARIHAR PRASAD	MAHESH KUMAR	07.09.2021	03.03.2004	OBC
20	PURSHOTTAM	SANTOSH SAHU	07.09.2021	12.01.2003	OBC
21	SANDHYA	SANJAY KUMAR	07.09.2021	07.01.2003	GEN
22	DEEPIKA	MANSHA RAM	07.09.2021	30.07.2003	OBC
23	DEEPIKA SAHU	TUMANLAL	07.09.2021	07.02.2003	OBC
24	GARIMA	PUKENDRA SINGH	07.09.2021	30.11.2002	OBC
25	MADHU	SHIWANAND	07.09.2021	24.02.2003	OBC
26	HIRENDRA	BALDAU	07.09.2021	03.07.2004	OBC
27	TARNI	CHANDRA KUMAR	07.09.2021	01.09.2003	OBC
28	HULSI	LALIT KUMAR	07.09.2021	08.05.2003	OBC
29	ISHA SIWARE	SANTOSH KUMAR	07.09.2021	05.04.2003	SC
30	AASHISH KUMAR	SHIV BALAK	07.09.2021	14.10.2003	OBC
31	LAXMI	GOUKARAN	07.09.2021	05.06.2003	OBC
32	DEVIKA	SAGUN VERMA	07.09.2021	04.12.2003	OBC
33	PAYAL	JEEVAN	14.09.2021	15.04.2003	OBC
34	AVANTIKA	PUNEET KUMAR	18.09.2021	28.07.2003	GEN
35	RUPENDRA	ANKALU RAM	18.09.2021	02.12.2002	OBC
36	MUSKAN	BHARAT BHUSHAN	18.09.2021	05.07.2003	GEN
37	venu Patel	BHEKHAI RAM	18.09.2021	26.10.2002	OBC
38	PRIYANKA	TUMAN LAL	24.09.2021	07.03.2004	OBC
39	KENALI	VIJAY DHANKAR	24.09.2021	09.06.2004	OBC

40	KRITIMA	ASHWANI KUMAR	27.09.2021	06.01.2004	OBC
41	LAXMI	POSHAN	27.09.2021	18.08.2003	GEN
42	PAYAL	SUDAMA	27.09.2021	06.07.2003	OBC
43	PRIYANKA	MUKESH	28.09.2021	09.01.2003	OBC
44	VANDANA	RAM KUMAR	28.09.2021	06.04.2003	OBC
45	AJAY	SHESHNARAYAN	28.09.2021	02.11.2003	OBC
46	RENUKA SAHU	HUKUM LAL	30.09.2021	13.08.2003	OBC
47	DEVAKI	RUPENDRA KUMAR	30.09.2021	21.04.2003	SC
48	HEENA PAL	SAHDEV RAM PAL	30.09.2021	20.09.2003	OBC
49	RAMAN	SUSHEEL	30.09.2021	15.04.2003	OBC
50	MANISH KUMAR	DOMAN DAS	30.09.2021	12.04.2003	SC
51	SURAJ KUMAR	RAJU LAL	30.09.2021	28.11.2002	OBC
52	KULESHWAR	NANKU SAHU	30.09.2021	08.01.2003	OBC
53	TULESH KUMAR	BHUSHAN LAL	30.09.2021	15.08.2003	SC
54	DILESHWAR PRASAD	VISHNU RAM	30.09.2021	04.09.2003	OBC
55	VIKKI KUMAR	JEEVAN LAL	30.09.2021	18.11.2002	OBC
56	AKSHAY KUMAR	RADHU RAM	30.09.2021	24.07.2003	OBC
57	SARSWATI	BHAGAT	30.09.2021	06.11.2003	SC
58	SANGEETA	ISHWAR LAL	30.09.2021	22.09.2003	OBC
59	AASHUTOSH UMRE	SUBODH UMRE	18.10.2021	24.01.2003	OBC


 प्राचार्य
 शासकीय नवीन महाविद्यालय लेरी
 जिला -दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक	पंचनाम	पतेका / पतेका का नाम	लिंग	वर्ग	मोबाइल नंबर	जन्म तिथि
		हर्ष माता-पिता का नाम पता सहित		OB/ST/ SC/G	oms ग्रुप	10th 12th
SB-101	✓	चमेली साहू यशवीदा ठाई/बलराम गा० बरसी यागा बुकडा तह० व मिला-रामनौदगाँव	F	OBC तेली	9893752878	20/12/2000 10th 2019 76.33% 12th 2021 89.4%
SB-102	✓	रीशान पटेल श्रीमती देवकी पटेल श्री मोहन पटेल गा०- गाजाबाद मिला दुर्ग तह० दामरवा मिला दुर्ग	M	OBC लोधी	6268162967	18/07/2002 10th-2019 78.16% 12th 2021 89.8%
SB-103	✓	लक्ष्मी श्रीमती सुशीला श्री सुकराम गा० परसदापार पो- नवगाँव थाना बारी तह० दामरवा दुर्ग	F	G 0+	9691390282	07/03/2003 10th-2019 84.66% 12th 2021 90%
SB-104	✓	मनीषा श्रीमती अमरीशान श्री सुकरालाल गा० गाजाबाद पो- लोधी मिला दुर्ग दामरवा	F	SC	8224979576	20/02/2004 10th-2019 82.83% 12th-2021 91%
SB-105	✓	रनिशा श्रीमती सुदेश्वरी श्री नरेश कुमार गा० 3 पो- चौचा दामरवा दुर्ग	F	OBC लोधी	9302889918	03/12/2001 10th-2019 69.33% 12th-2021 89.2%
SB-106	✓	समती जोशी श्रीमती सतुषा श्री जीवदान गा० 3 पो- भोष्मी जालगाँव तह० रानीगाँव मिला- रामनौदगाँव	F	SC	6268931053	05/09/2002 10th 2019 74.83% 12th 2021 85.6%

बैंक खाता नं०	आधार कार्ड	डीपॉजिट नं०	रसीद क्रमांक / प्रमाण दिनांक सहित	रिमान
बैंक का नाम	नगर			
SBI KIOSK Banking	3492 8371	-	27/08/2021 Govt- 7200/164 95/-	
35202361243	65-80	dakeshwar	Non Gov- 10704/67	
IFSC - SBIN000524		22@gmail.com	600/- Others - 1930 500/-	
			Total - 1125/-	
Sahakari Khandaya Bank	5289 5041	-	27/08/2021 Govt 8050/02 = 140/-	
Ghottha	5160	goshanpatel	Non Gov- 107043	
101004225800		gmail.com	05 = Govt- Others - 1968 = 500/-	
IFSC - UTZA05501			Total - 1240/-	
CRCB-KIOSK Banking	5203 6937	Chauhanla	27/08/2021 Govt - 77800/99 251/-	
77079649490	8311	gmail.com	Non Gov - 107043/02 600/-	
SBINORRCHGB			Others - 1965 500/-	
			Total - 1125/-	
SBI Ganjpara	3933 7235	52537	27/08/2021 Govt 77500/80 = 251	
35308263702	66 11	gmail.com	NON Gov - 107041/83 = 600/-	
IFSC - SBIN0000370			Others - 1946 = 500	
			Total - 1125/-	
SBI गजपारा	3755 4535	manu v 4151	31/08/2021 Govt - 80501 = 85/- 52	
35188881993		gmail.com	NON Govt - 107043 = 600/- 55	
IFSC - SBIN 0000370	1274		Others - 2018 = 500/-	
			Total - 1125/-	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	6071 7767	sumati joshi	31/08/21 Govt 80501 = 251/- 38	
16980432343	4843	gmail.com	NON Gov 107043 = 600/- 41	
IFSC - UTBIORJG 689			Others - 2004 = 500/-	
			Total 1125	

क्र.सं.	प्रवेश क्र.सं.	व्यक्ति का नाम माता पिता का नाम पता	लिंग	जाति	10th Year	12th Year	मोबाइल नंबर
					Percent	%	
7	SB-107	पल्लवी वर्मा श्रीमती हेमलता वर्मा श्री अशोक वर्मा	F	OBC लोधी	2019 84.66	2021 91%	7724877289
8	SB-108	कावेरी श्रीमती गौदावरी श्री शंकराज गां० दुनिया पो० बरी जिला दुर्ग द० गां०	F	OBC लोधी	2019 81.66	2021 90.4	7489299717
9	SB-109	मनीषा साहू श्रीमती सुमित्रा साहू श्री सुरेश चंद्र साहू गां० बारी तह० बारी जिला दुर्ग द० गां०	F	OBC तेली	2019 77.83	2021 90%	8815006478
10	SB-110	खुशबु श्रीमती श्वेतिन श्री तेजस लाल गां० गाडाघाट याना- बारी जिला दुर्ग	F	OBC लोधी	2019 82%	2021 89.2	9343013769
11	SB-111	साक्षी श्री प्रहलाद साहू श्री प्रदीप साहू गां० पौठुका (दरसा) तह० बारी जिला दुर्ग द० गां०	F	OBC देवार	2019 84.66	2021 90.4	7067145507
12	SB-112	निखिता श्रीमती मीना निखा श्री भगवती प्रसाद गां० पचरिया तह० बारी दुर्ग द० गां०	M	OBC देवार	2019 65.16	2021 86.8	7470654929

जन्म तिथि	बैंक का नाम बैंक खाता नंबर IFSC Code	आधार कार्ड नंबर	ईमेल नं.	रूरीद नगर पत्रिका नं. राशि सक्षि	रिपोर्ट
22/07/2004	दुर्ग गांधी ग्रामीण बैंक बारी 77055318834 IFSC - SBINORRCHGB	7169 9838 0658	pallavi@ mas75@ gmail.com	21/08/2021 Govt. 80501 51 = 25/- Non Gov. 107043 54 = 600/- Other - 2017 = 500/- Total - 1125/-	
13/12/2002	SBI गंजपारा दुर्ग 35174063008 IFSC - SBIN0000370	3068 8183 9014	kaveri@patel 470@gmail.com	31/08/2021 Govt. 80501 29 = 25/- Non Gov. 107043 32 = 600/- Other - 1995 = 500/- Total 1125/-	
09/11/2002	SBI गंजपारा दुर्ग 35082411782 IFSC - SBIN 0000370	4795 8545 2705	tmss0915 @gmail.com	31/08/2021 Govt. 80501 30 = 25/- Non Gov. 107043 33 = 600/- Other - 1996 = 500/- Total - 1125/-	
25/09/2003	SBI गंजपारा दुर्ग 360304479112 IFSC - SBIN0000370	4726 1766 2592	khushbu verma@ gmail.com	31/08/2021 Govt. 80501 18 = 25/- Non Gov. 107043 81 = 600/- Other - 1984 = 500/- Total - 1125/-	
28/12/2003	CRGB-KIOSK Banking 77079649634 IFSC - SBINORRCHGB	7999 0760 5651	sakshiyadu 79@ gmail.com	31/08/2021 Govt. 80501 43 = 25/- Non Gov. 107043 46 = 600/- Other - 2009 = 500/- Total 1125/-	
14/06/2003	SBI - गंजपारा दुर्ग 35523925842 IFSC - SBIN 0000370	2642 1204 8963	nehan4173 @gmail.com	03/09/2021 Govt. 80501 80 = 25/- Non Gov. 107043 83 = 600/- Other - 2046 = 500/- Total 1240	

क्र.सं.	पंजीकृत नाम	पते	जाति	10th Passing %	12th Passing %	मोबाइल नंबर
13	राजेश्वरी धनकर श्रीमती कपलता धनकर श्री लीलाराम धनकर ग्राम पोस्ट वेडपुरदा तहसील वेडपुरदा	राजेश्वरी धनकर जयपुरदा 78-66-87	F OBC	2019	2021	7928741083
14	विद्या शारदा श्रीमती रानी बाई श्री दशरथ ग्राम सुरवरीकुवा तहसील वेडपुरदा	विद्या शारदा राजपुरदा 86-861	F OBC	2019	2021	6268871461
15	लीना निषाद श्रीमती लीना बाई निषाद श्री कृष्ण कुमार निषाद ग्राम पोस्ट वेडपुरदा तहसील वेडपुरदा	लीना निषाद वेडपुरदा 88-21 71-83	F OBC	2019	2021	9340270928
16	मधु श्रीमती देवकी बाई श्री प्रकाश कुमार ग्राम सिलहरा पोस्ट वेडपुरदा तहसील वेडपुरदा	मधु कोकरा 68-5-868	F OBC	2019	2021	8224906551
17	नेहा श्रीमती सुप्रिया श्री शैलेश ग्राम चींचा थाना वेडपुरदा तहसील वेडपुरदा	नेहा लोकरा 68-16-85-6	F OBC	2019	2021	6268192986
18	आरती साहू श्रीमती सुवर्णा साहू ग्राम कुंजीपुरदा तहसील वेडपुरदा	आरती साहू तेली 70-51-871	F OBC	2019	2021	9691053908

जन्म तिथि	बैंक का नाम	खाता नंबर	आधार कार्ड नंबर	ईपिन नंबर	रसीद नंबर	उपरोक्त दिनांक	रिमाफ
21/02/2003	SBI गंजपारापुरा	5191 35479168776	1697	9819	03/09/21	Govt 80501 = 25/- Non Gov 107043 = 600/- Other 2043 = 500/- Total 1125/-	
12/02/2002	SBI गंजपारापुरा	9384 0168	2458	0000370	03/09/21	Govt 80201 = 25/- Non Gov 107043 = 600/- Other 2040 = 500/- Total 1125/-	
03/07/2003	SBI गंजपारापुरा	6987 5780	5223	0000370	03/09/21	Govt 80501 = 25/- Non Gov 107043 = 600/- Other 2041 = 500/- Total 1125/-	
20/10/2003	SBI गंजपारापुरा	9205 0326	7445	0000370	03/09/2021	Govt 80502 = 25/- Non Gov 107044 = 600/- Other 2067 = 500/- Total = 1125/-	
03/03/2003	SBI गंजपारापुरा	9606 2533	8610	0000370	02/09/2021	Govt 80501 = 25/- Non Gov 107044 = 600/- Govt 01 = 25/- Other 2064 = 500/- Total 1125/-	
04/04/2003	SBI गंजपारापुरा	6513 6074	5489	0000370	03/09/2021	Govt 80501 = 25/- Non Gov 107043 = 600/- Other 2063 = 500/- Total = 1125/-	

क्रमांक	पंजीकृत नाम	पिता/माता का नाम	लिंग	जाति	वर्ष	मौलिक संख्या	मौलिक संख्या
19	SB-119	हरिहर प्रसाद देवांगन	M	OBC	2019	2021	62689865
		श्रीमती मीना देवी देवांगन		कोटा	75.5	86.4	B+
		श्री महेश कुमार देवांगन					
		ग्राम सिलतरा पो. पुष्प					
		बिलासपुर इ. 010					
20	SB-120	पुरषोत्तम कुमार साहू	M	OBC	2019	2021	62686978
		श्रीमती झंकरलती साहू		तेली	63.66	86	B+
		श्री सैतोज साहू					
		ग्राम मोहनी थाना बरी					
		बिलासपुर इ. 010					
21	SB-121	कांछडा	F	G	2019	2021	7225049
		श्रीमती योगेश्वरी देवी			75.5	87.8	AB+
		श्री सजय कुमार					
		ग्राम देवापुर पो. बेली					
		दाण्डा इ. 010					
22	SB-122	दीपिका	F	OBC	2019	2021	669196110
		श्रीमती गणेशिया		तेली	88.16	93.8	
		श्री महाराज					
		ग्राम 3 पो. चीचा					
		थाना बरी दाण्डा इ. 010					
23	SB-123	दीपिका साहू	F	OBC	2019	2021	6268196876
		श्रीमती कलिका साहू		तेली	79.83	91	
		श्री कुमनलाल साहू					
		ग्राम 3 पो. चीचा					
		थाना बरी दाण्डा इ. 010					
24	SB-124	गरिमा वर्मा	F	OBC	2019	2021	9755861
		श्रीमती निकेश्वरी		तेली	92.2	92.2	B+
		श्री सुकेत सिंह					
		ग्राम 3 पो. चीचा					
		थाना बरी इ. 010					

जन्म तिथि	बैंक का नाम	अकाउंट नंबर	डीपॉजिट नंबर	रसीद संख्या	प्रवेश दिनांक	रशिद
03/03/2004	SBI - K70SK Banking	3866	8946	Govt. 80501	07/09/2021	
		36023930273	9311	Govt. 80501		
		SBIN 0000370		Non Govt. 107043		
				Govt. 96 = 1401-		
				Non Govt. 99 = 6001-		
				Other 2062 = 5001-		
				Total 12401-		
12/01/2003	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	5255	7853	Govt. 80501	07/09/2021	
		60366658569	3598	Govt. 80501		
		IFSC		Non Govt. 107043		
		MAHB0000584		Govt. 93 = 1401		
				Non Govt. 96 = 6001-		
				Other 2059 = 5001-		
				Total 12401-		
07/01/2003	?	9021	550518	Govt. 80502	07/09/2021	
		4358	534	Govt. 80502		
		6270	9mail.com	Non Govt. 107044		
				Govt. 14 = 6001		
				Other 2099 = 5001		
				Total 11251-		
30/07/2003	SBI गणेशपुरा इ. 010	2393	9182	Govt. 80502	07/09/2021	
		35188881982	6094	Govt. 80502		
		SBIN-0000370		Non Govt. 107044		
				Govt. 22 = 251-		
				Non Govt. 29 = 6001		
				Other 2088 = 5001		
				Total 11251-		
07/02/2003	SBI गणेशपुरा इ. 010	4546	3503	Govt. 80502	07/09/2021	
		35188881608	7032	Govt. 80502		
		SBIN 0000370		Non Govt. 107044		
				Govt. 21 = 251-		
				Non Govt. 24 = 6001-		
				Other 2087 = 5001		
				Total 11251-		
30.11.2002	SBI गणेशपुरा इ. 010	7202	3915	Govt. 80502	07/09/2021	
		35174064046	4572	Govt. 80502		
		SBIN 0000370		Non Govt. 107044		
				Govt. 20 = 251-		
				Non Govt. 23 = 6001-		
				Other 2086 = 5001		
				Total 11251-		

क्रमांक	पुत्र/पुत्री	छात्र-छात्रा का नाम	जाति	10th	12th	सर्वोच्च शिक्षण संस्थान का नाम
SB-125	मध्य	श्रीमती गोकुली राहु	F	OBC	2019 2021	77230609
25		श्रीमती गोकुली राहु श्री शिवानंद साहू ग्राम डोगा पो. बोरी जिला दुर्ग (ए.ए.ए.)		तेली	450 439	51
					600 500	
					751 878	
SB-126	द्वितीय	श्रीमती पार्वती	M	OBC	2019 2021	9489094
26		श्रीमती पार्वती श्री बलराज ग्राम डोगा पुस्ता जिला दुर्ग (ए.ए.ए.)		तेली	423 429	071
					600 500	
					705 858	
SB-127	तारकी	श्रीमती सेवती ठाकुर	F	OBC	2019 2021	93431337
27		श्रीमती सेवती ठाकुर श्री चंद्रकुमार ग्राम डोगा - बोरी जिला दुर्ग (ए.ए.ए.)		कुर्मी	476 409	24
					600 500	
					7933 858	
SB-128	दुल्हनी तर्मा	श्रीमती नीता ठाकुर	F	OBC	2019 2021	877073
28		श्रीमती नीता ठाकुर श्री ललित कुमार वर्मा ग्राम सुबशीकला पो. बोरी जिला दुर्ग (ए.ए.ए.)		लोकी	456 450	9029
					600 500	
					76 90	
SB-129	इशा सिवार	श्रीमती - दिलीपरी सिवार	F	SC	2019 2021	9340726963
29		श्रीमती - दिलीपरी सिवार श्री संतोष कुमार सिवार ग्राम सिरेज पो. बोरी तह. राजवाड़ा जिला दुर्ग (ए.ए.ए.)		मैहर	418 401	B+
					600 500	
					6066 802	
SB-130	आशीष कुमार साहू	श्रीमती गंगा बार्इ	M	OBC	2019 2021	8827106915
30		श्रीमती गंगा बार्इ श्री शिव बालक ग्राम परसदा पार पो. नवागांव (पुस्ता) तह. बोरी जिला दुर्ग		तेली	337 438	
					600 500	
					5616 876	

क्रमांक	पुत्र/पुत्री	छात्र-छात्रा का नाम	जाति	10th	12th	सर्वोच्च शिक्षण संस्थान का नाम
SB-125	मध्य	श्रीमती गोकुली राहु	F	OBC	2019 2021	77230609
25		श्रीमती गोकुली राहु श्री शिवानंद साहू ग्राम डोगा पो. बोरी जिला दुर्ग (ए.ए.ए.)		तेली	450 439	51
					600 500	
					751 878	
SB-126	द्वितीय	श्रीमती पार्वती	M	OBC	2019 2021	9489094
26		श्रीमती पार्वती श्री बलराज ग्राम डोगा पुस्ता जिला दुर्ग (ए.ए.ए.)		तेली	423 429	071
					600 500	
					705 858	
SB-127	तारकी	श्रीमती सेवती ठाकुर	F	OBC	2019 2021	93431337
27		श्रीमती सेवती ठाकुर श्री चंद्रकुमार ग्राम डोगा - बोरी जिला दुर्ग (ए.ए.ए.)		कुर्मी	476 409	24
					600 500	
					7933 858	
SB-128	दुल्हनी तर्मा	श्रीमती नीता ठाकुर	F	OBC	2019 2021	877073
28		श्रीमती नीता ठाकुर श्री ललित कुमार वर्मा ग्राम सुबशीकला पो. बोरी जिला दुर्ग (ए.ए.ए.)		लोकी	456 450	9029
					600 500	
					76 90	
SB-129	इशा सिवार	श्रीमती - दिलीपरी सिवार	F	SC	2019 2021	9340726963
29		श्रीमती - दिलीपरी सिवार श्री संतोष कुमार सिवार ग्राम सिरेज पो. बोरी तह. राजवाड़ा जिला दुर्ग (ए.ए.ए.)		मैहर	418 401	B+
					600 500	
					6066 802	
SB-130	आशीष कुमार साहू	श्रीमती गंगा बार्इ	M	OBC	2019 2021	8827106915
30		श्रीमती गंगा बार्इ श्री शिव बालक ग्राम परसदा पार पो. नवागांव (पुस्ता) तह. बोरी जिला दुर्ग		तेली	337 438	
					600 500	
					5616 876	

क्रमांक	पंजीकृत क्रमांक	दाम-दाम का नाम माता-पिता का नाम पता	लिंग	जाति	10th	12th	संबंधित नं. cons no
31	SB-131	लक्ष्मी श्रीमती सरोज श्री गोकुल ग्राम वनयापो बरी बिलाडुर्ग द.गंग	F	OBC तेली	2019 499 600	2021 433 500	6268279944 AB+
32	SB-132	देविता श्रीमती फिरोज़ श्री समुद्र चर्चा ग्राम चिंचा थाना बरी बिलाडुर्ग	F	OBC लक्ष्मी	2019 403 600	2021 442 500	8319736307
33	SB-133	पारल श्रीमती ललिता बई श्री जीवन जालबाँदा थाना जालबाँदा रजनाबाँदा	F	OBC कलार	2019 352 800	2021 435 500	8770795566 A+
34	SB-134	अवतिका गुप्ता श्रीमती जायति गुप्ता श्री सुनील कुमार गुप्ता ग्राम देवापार पो बरी डुर्ग	F	G कन्या	2019 441 600	2021 426 500	7049752510 B+
35	SB-135	कपेन्द्र श्रीमती सुवकली बई श्री अकाशराम ग्राम डफो बरी थाना बरी बिलाडुर्ग	M	OBC तेली	2019 496 600	2021 415 500	8349529208
36	SB-136	सुरेकान श्रीमती भारती सिंह श्री अरुण कुमार सिंह ग्राम डफो बरी वडो बरी	F	G वधवा	2019 431 600	2021 418 500	6267619126

अवधि	बैंक का नाम खाता क्रमांक IFSC code	आधार नं. इ	ईमेल हस्ताक्षर	संबंधित नं. यूएन/क्रमांक राशि	शेष
05/06/2003	SBI गजपारा डुर्ग	9340 9390 35174064375	takshmi sahu51 9400 gmail: com	Govt-80502 45 = 257 Non Govt-107047 47 = 600 Other	07/09/21
04/12/2003	SBI गजपारा डुर्ग	9389 8240 35174063927	tvenma 01122@ gmail: com	Govt-80502 37 = 257 Non Govt-107044 39 = 600 Other 2102 Total 11251-	07/09/21
15/04/2003	द.गंग रजनाबाँदा थाना बरी	7284 4907 77073356586	payalsi nha275 @gmail: com	Govt-80502 53 = 257 Non Govt-107044 54 = 600 Other 2119 = 500 Total 11251-	14/09/2021
28/07/2003	द.गंग रजनाबाँदा थाना बरी	5256 5670 9568 77064646404	avantig upta7049 @gmail: com	Govt-80504 75 = 257 Non Govt-107046 77 = 600 Other-2340 = 500 Total-11251-	18/09/2021
02/12/2002	SBI गजपारा डुर्ग	2063 0152 35188881392	gopendra kumar52 6108@ gmail: com	Govt-80503 77 = 140 Non Govt-107045 80 = 600 Other-2248 = 200 Total 1240	18/09/2021
05/07/2003	द.गंग रजनाबाँदा थाना बरी	6428 2022 77067717336	muskan srivastha @gmail: com	Govt-80503 96 = 257 Non Govt-107045 79 = 600 Other-2242 = 500 Total 11251-	18/09/2021

Date: / /

PAGE NO. / /
Date: / /

क्रमांक	पुर्वोक्त क्रमांक	कम-काम का नाम	लिंग	जाति	10th	12th	मोबाइल नं०
		माता-पिता का नाम					संख्या
37	SB-137	वेणु चैतल श्रीमती किरण चैतल श्री अश्वजित राव शा. परसदापुर थाना दाहवा जिला इटावा	F	OBC	2019	2021	9770720932
				लोदी	476	410	AB+
					600	500	
38	SB-138	प्रियंका निर्मलकर श्रीमती सावित्री निर्मलकर श्री दुर्गमलाल निर्मलकर शा. डोगा थाना जिला इटावा	F	OBC	2019	2021	8305345874
				धोबी	371	401	B+
					600	500	
39	SB-139	केनाली धनकर श्रीमती उमेश्वरी धनकर श्री विजय धनकर शा. विरेचल पो द्विरी थाना जिला इटावा	F	OBC	2019	2021	9977702661
				गारिया	352	391	A-
					600	500	
40	SB-140	कुमिका श्रीमती लोदी साह श्री अश्वजित राव शा. परसदापुर धनवा इटावा	F	OBC	2019	2021	9516879252
				तंजा	361	416	B+
					600	500	
41	SB-141	लक्ष्मी श्रीमती अश्वती श्री मोहन शा. गजघाट पो. इटावा जिला इटावा	F	G	2019	2021	6261785424
					393	406	AB+
					600	500	
42	SB-142	परान श्रीमती संख्या श्री सुधासा शा. अरसी पो. इटावा जिला इटावा	F	OBC	2019	2021	6261484280
				खिर	341	403	-
					600	500	

जन्मतिथि	बैंक का नाम	पता	आधार नं०	ई पिन नं०	पुर्वोक्त तिथि	रिपोर्ट
		शवाता नं० पता	नं०	नं०	2सी 3 क्रमांक	रिपोर्ट
26/10/2002	SBI KIOSK Banking		4890	1762	18/09/2021	
			2156	2156	Govt. 80503	
					29 = 85	
					Net 107045 = 600	
					78	
					Other - 2201 = 500	
					Total 1125/-	
07/03/2004	SBI गजपरा इटावा		4216	4812	24/09/2021	
			1418	1418	Govt. 80505	
					41 = 28	
					Net 107042 = 600	
					44	
					Other - 2408 = 500	
					Total 1125/-	
09/06/2004	SBI-KIOSK Banking		8418	4914	24/09/2021	
			3484	3484	Govt. 80505	
					88 = 251	
					Net 107047 = 600	
					91	
					Other 2454 = 500	
					Total 1125/-	
06/01/2004	SBI गजपरा इटावा		8466	9175	27/09/2021	
			2527	2527	Govt. 80506	
					61 = 25	
					Net 107043 = 64	
					64	
					Other - 2527 = 500	
					Total 1125/-	
18/08/2003	-		6268	7854	27/09/2021	
			28251	4328	Govt. 80506	
			2653	2653	59 = 251	
					Net 107048 = 600	
					62 = 601	
					Other - 2525 = 500	
					Total 1125/-	
06/07/2003	SBI गजपरा इटावा		6997	3564	27/09/2021	
			5702	5702	Govt. 80506	
					140 = 251	
					Net 107048 = 600	
					17	
					Other - 2000 = 500	
					Total 1125/-	

क्रमांक	पक्ष क्रमांक	दाता/दाता का नाम माता-पिता का नाम पता	लिंग	जाति	वर्ग	रक	मौकिक नं.
43	SB-143	पियंका श्रीमती लला बई श्री कुमेश गां पथरिया खोला पथरिया, डर	F	OBC कैवट	2019	2020	8103810174
							$\frac{411}{600}$ $\frac{420}{500}$ B+
44	SB-144	वैवना श्रीमती-कला बई श्री रामकुमार गां नवागांव पुरवा थाना कौरी नरकौरी, डर	F	OBC मगर	2019	2020	8770643419
							458 424 0+
45	SB-145	अजय श्रीमती-कौशाल श्री शोबनाराम गां खिबेराठला, अमरा डर कौरी, डर (ड.ग.)	M	OBC लोधी	2019	2020	7880292402
							478 410 0+
46	SB-146	रेखुना बई श्रीमती परमिता लाड श्री कुजुम लाल लाड गां - डांडी, जे.नीमा डर-डर (ड.ग.)	F	OBC तेवी	2019	2020	9399340489
							357 419 AT
47	SB-147	देवकी श्रीमती गौहनी बई श्री कचेंड कुमर गां देवापार कौरी डर (ड.ग.)	F	SC	2019	2021	9301429871
							$\frac{418}{600}$ $\frac{434}{500}$ AT
48	SB-148	हिना पाल श्रीमती सावित्री पाल श्री सहदेव राम पाल गां पुरवा धींगलिया धरवा डर	F	OBC गवरिया	2019	2021	6264026636
							$\frac{406}{600}$ $\frac{421}{500}$ AT

क्रमांक	पक्ष क्रमांक	दाता/दाता का नाम माता-पिता का नाम पता	लिंग	जाति	वर्ग	रक	मौकिक नं.
09	01	SB1 गजपार डर					2941 3755 7138
							35350541724 SBIIN 0000370
09	01	SB1 गजपार डर					2941 3755 7138
							35350541724 SBIIN 0000370
06	04	SB1 गजपार डर					449952 87706434
							68182434 34 36023930 455 SBIIN 0000370
09	11	SB1 गजपार डर					545388 87706434
							35249413201 SBIIN 0000370
09	01	SB1 गजपार डर					26731732 87706434
							34587557211 SBIIN 0000370
09	01	SB1 गजपार डर					8704 4337 9862
							36350536452 SBIIN 0000370
20	09	SB1 गजपार डर					7930 2596 6674
							35479169441 SBIIN 0000370

क्रमांक	प्रवेश क्रमांक	क्षेत्र/द्वारा का नाम माता-पिता का नाम पता	लिंग	जाति	10th	12th	मोबाइल नं E-mail
49	SB-149	रुचन श्रीमती सुश्रीमा बई श्री सुशील गा० जाडाडीह पो० लिहिवा बोरी दुर्ग	M	OBC तेली	2019	2021	6264609156 430/600 420/500 BT
50	SB-150	मनीष कुमार श्रीमती लीलक देवी श्री रामनारायण गा० नवागाँव तह० बोरी बिलासपुर दवाडा	M	SC	2019	2021	626429933 349/600 399/500
51	SB-151	सुरज कुमार श्रीमती सुश्रीमा बई श्री रामलाल गा० कपोठपुरा तह० देवघरा बिलासपुर	M	OBC तेली	2019	2021	6269068716 432/600 420/500 OT
52	SB-152	कुलदेवर कुमर साहू श्रीमती राजकुमारी श्री नमो साहू गा० मौंटी पो० बिनीतला	M	OBC तेली	2019	2021	7987826078 352/600 432/500 BT
53	SB-153	कुलेश कुमार श्रीमती सुशीमा बई श्री कृष्ण लाल आतापारा विरेहर थाना बोरी दुर्ग	M	SC मैहर	2019	2021	7879654626 466/600 336/500 OT
54	SB-154	दिलेश्वर प्रसाद श्रीमती रामेश्वरी बई श्री विष्णुवाक	M	OBC कुर्मी	2019	2021	6268144977 453/600 435/500 OT

जन्मतिथि	बैंक का नाम पता खताना नं ITSC code	आधार नं	डिपॉजिट email	प्रवेश तिथि रसीद उपास राशि	रकम
04/15/2003	SBT मंजपरा दुर्ग	5141 3234 5972	namansah 1505@gmail.com	30/09/2021 Gov. 80507/14 = 1401 Non 107049/9 = 600 Oth - 2580 = 500 1240/-	
04/12/2003	SBT मंजपरा दुर्ग	6681 6297 1674	deshbharan bank@gmail.com	30/09/2021 Gov. 80507/07 = 1401 Non 107049/10 = 600 Oth - 2573 = 500 1240/-	
11/28/2003	SBT मंजपरा दुर्ग	2301 2234 6149	ssahu31 951@gmail.com	30/09/2021 Gov. 80507/13 = 1401 Non 107049/16 = 600 Oth - 2579 = 500 1240/-	
08/01/2003	पंजाब नेशनल बैंक जामबोधा	3591 3882 4794	kuleshwar kumaresora 003@gmail.com	30/09/2021 Gov. 80507/05 = 1401 Non 107049/11 = 600 Oth - 2574 = 500 1240/-	1401 ?
15/08/2003	SBT KIOSK Banking	4253 0992 4204	kuleshwar @gmail.com	30/09/2021 Gov. 80506/57 = 1401 Non 107049/100 = 600 Oth - 2563 = 500 1240	1401 ?
04/09/2003	SBT मंजपरा दुर्ग	2698 7905 4425	devendra varma645@gmail.com	30/09/2021 Gov. 80506/98 = 1401 Non 107049/01 = 600 Oth - 2564 = 500 1240/-	

क्र.सं.	प्रवेश क्र.सं.	धर्म/द्वि.भा. की नाम माता पिता का नाम पता	लिंग	जाति	10th	12th	मोबाइल नं० E-mail ग्रुप
55	SB-155	बिन्की कुमर साहू श्रीमती कुसुम श्री जीवनलाल साहू गा० कींदी पो. बिरौली राजनांदगाँव	M	OBC तेली	2019 389 500	2021 420 500	6268684133 OT
56	SB-156	अश्वयुक्त श्रीमती रिंजुबाई श्री सधुसम पयसिया नवागाँव, उरुका दुर्ग	M	OBC कै.क.	2019 395 600	2021 424 500	7247468063 OT
57	SB-157	सरस्वती श्रीमती कीशिकाबाई श्री भगत गा० गाजाडीह-पो लिहक समरिया जिला दुर्ग	F	SC सितानी	2019 466 600	2021 427 500	9301415735 776 85.4
58	SB-158	सुगीता श्रीमती सुशीला श्री शिवरामलाल बिलोराकला धमका दुर्ग	F	OBC बाही	2019 337 600	2021 428 500	7974822235 OT

जन्म तिथि	बैंक का नाम पता/ स्वता नं. JFSC	आधार नं०	Email	पेशी तिथि रसीद क्रमांक 2131	रिजल्ट
18-11-2002	जि. ए. नेशनल बैंक जयबांका 16982010133999 IFS-UTBIORJS 699 PUNB0169820	6286 1472 5369	Sakujivank 1540@gmail. com	30/09/2021 80507 09 = 240 Nema 107049 = 600 12 Oth. 2595 = 500 12401-	
24-07-2003	यू.के. बैंक सिरसा 32940110006566 UCBA0003294	3298 3394 3915	nishadek shreyakum ar1@gmail. com	30/09/2021 Govt. 80506 = 240 06 Nema 107048 = 600 09 Oth. 2562 = 500 12401-	
06-11-2003	SBI गीजपारा 3530826374 SBIIN 000370	3673 1402 1968	sutikumari 588@gmail. com	30/09/2021 Govt. 80507 = 25 12 Nema 107049 = 600 15 Oth. 2578 = 500 11251-	Pass book ?
22-07-2003	SBI गीजपारा दुर्ग 35249413772 SBIIN 0000370	2177 1211 8933	sp74752 92@gmail. com	30/09/2021 Govt. 80507 = 25 15 Nema 107049 = 600 Oth. 2581 = 500 11251-	

शासकीय नवीन महाविद्यालय

सत्र २०२१-२२
 वी.एस.सी. उपक्रम वर्ग

गेरी कुर्वा
 (गणित समूह)

PAGE NO. Maths
 Date: / /

क्र.सं.	पुस्तक क्रमांक	छात्र/छात्रा का नाम माता पिता का नाम पता	लिंग	जाति	10th 12th	सामान्य नं.
1	SM-101	कपिल नारायण श्रीमती - पूर्णिमा श्री कुलसी राव ग्राम दुनिया तहसील गेरी जिला इलाहाबाद	M	OBC	२०१९ २०२१	6268219367 लॉथी 78.2 87.2 81.5 Active
2	SM-102	देव कुमार श्रीमती कुंती श्री राजेश कुमार ग्राम अरसी पी.वी.चा थाना गेरी जिला इलाहाबाद	M	SC	२०१९ २०२१	8319453030 85% 91.8 B+
3	SM-103	पुष्पांजली श्रीमती आरती श्री राजकुमार खीवर ग्राम गेरी तहसील गेरी जिला इलाहाबाद	F	OBC	२०१९ २०२१	6267312924 दोमर 78.33 87.2 A+
4	SM-104	रघुशंकर साहू श्रीमती धनेश्वरी श्री कुलराज साहू ग्राम डोमा थाना गेरी जिला इलाहाबाद	F	OBC	२०१९ २०२१	6268899066 तेला 75.5 84.6 AB+
5	SM-105	अश्वनी वर्मा श्रीमती फूलमती वर्मा श्री कमल वर्मा ग्राम पी.चा पो. गेरी जिला इलाहाबाद	M	OBC	२०१९ २०२१	6268167466 लॉथी 74.16 88% A+
6	SM	जगन्नाथ देवान श्रीमती मीनादेवी देवान श्री महेश कुमार देवान ग्राम-सिमतरा पोस्ट गेरी जिला इलाहाबाद	M	OBC	२०१९ २०२१	8319857686 कौन्डा 91.5 87.8 B+

जन्म तिथि	बैंक का नाम	आधार नंबर	आधार नंबर	ईमेल	रसीद का नंबर	रसीद दिनांक	रिक्ति
	खाता नं.	नंबर	IFSC Code	ईमेल	नंबर	राशि	
26.01.2003	SBI Ganjpur Durg	5687 3728	35160576300	Kp6982425@gmail.com	97/08/21	Govt. 77800 97 = 740	
			IFSC SBIN0000376			Non Govt 107041 100 = 600/- Other 1968 = 500/- 1240/-	
04/10/2003	SBI Ganjpur Durg	6582 7432	35249412297	devko7996@gmail.com	27/08/21	Govt. 77800 69 = 740	
			IFSC SBIN0000370			Non Govt 107041 66 = 600/- Other = 1929 = 500/- 1240	
10/06/2003	SBI Ganjpur Durg	5298 6241	35082411802	raifudhiwan20112018@gmail.com	27/08/21	Govt. 80501 13 = 251	
			IFSC SBIN0000370			Non Govt 107043 16 = 600/- Other 1979 = 500/- Total 1125/-	
23/11/2003	SBI जिला इलाहाबाद	5666 2329	35082411857	ks25045000@gmail.com	27/08/21	Govt. 80501 14 = 251	
			IFSC SBIN0000370			Non Govt 107043 17 = 600/- Other = 1980 = 500/- Total 1125/-	
26/02/2003	SBI गजपूर जिला	8351 0023	35174063869	vashvani266@gmail.com	31/08/21	Govt. 80501 = 940/- 46	
			IFSC SBIN0000370			Non Govt 107043 49 = 800/- Other = 2012 = 500/- Total 1240	
09/11/2002	SBI-KIOSK Bankind	3819 2152	36023930240	dewanaganjay02@gmail.com	31/08/21	Govt. 80501 = 140/- 33	
			IFSC Code SBIN0000370			Non Govt 107043 36 = 600/- Other = 1999 = 500/- Total = 1240	

क्रमांक	प्रवेश क्रमांक	दाता का नाम माता पिता का नाम पता	लिंग	जाति	10 th रक	12 th रक	सीबीएस नंबर
7	SM-107	पंकज कुमार श्रीमती लता श्री अनुकूल ग्राम एवं पोस्ट चीपा तहसील बारी दुर्गा दण्डा	M	OBC	2019	2021	8349061515
				तेली	84%	91%	BT
8	SM-108	दनिश्वर श्रीमती प्रयागती साहू श्री प्रीनप्रयाग साहू ग्राम दीडे पुरवा बारी बिला दुर्गा	M	OBC	2019	2021	6267814186
				तेली	85%	90.4%	BT
9	SM-109	राजकुमार श्रीमती राधा साहू श्री प्रमोदन साहू ग्राम दीडे पुरवा बारी दुर्गा दण्डा	M	OBC	2019	2021	6268063107
				तेली	67.16%	85.6%	BT
10	SM-110	राधिका श्रीमती रविमा श्री प्रमोदन साहू ग्राम 3 पो बारी बिला दुर्गा दण्डा	F	OBC	2019	2021	6267621702
				कुर्मी	87.5%	90.2%	BT
11	SM-111	चौधरी कुमारी श्रीमती अनिता गिल्लोरे श्री प्रमोदन साहू गिल्लोरे ग्राम 4 पो बारी बिला दुर्गा दण्डा	F	SC	2019	2021	9301764686
				सतनाम	80.5%	90%	OT
12	SM-112	प्रजा साहू श्रीमती लक्ष्मीबाई साहू श्री राजपाल साहू ग्राम डोडकी पो बारी बिला दुर्गा दण्डा	F	OBC	2019	2021	6267713745
				तेली	91.66%	94%	OT

जन्म तिथि	बैंक का नाम	आधार नंबर	ईमेल	श्रीक	श्रीक	श्रीक
	खाता नंबर	IFSC Code		श्रीक	श्रीक	श्रीक
19/09/2003	SBT गंगपारा दुर्गा	4876 6006 35174062684	spantast umam1999 @gmail.com	31/08/21	Govt. 80501 = 1401/-	37
		IFSC SBIN 0000370			Non Govt. 107043 = 6001/-	40
					Others 2053 = 5001/-	Total 1240
07/10/2002	SBT गंगपारा दुर्गा	7319 3401 35308263893	nishash hu391 @gmail.com	31/08/2021	Govt. 80501 = 1401/-	34
		IFSC code SBIN 0000370			Non Govt. 107043 = 6001/-	37
					Others 2050 = 5001/-	Total 1240
25/10/2003	SBT गंगपारा दुर्गा	8507 7567 35308263940	ajnsahu 2525@ gmail.com	31/08/2002	Govt. 80501 = 1401/-	32
		IFSC SBIN 0000370			Non Govt. 107043 = 6001/-	35
					Others 1998 = 5001/-	Total 1240
12/09/2003	SBT गंगपारा दुर्गा	6255 4862 35026854079	pradhika deshmuk 91572@ gmail.com	31/08/2021	Govt. 80501 = 251/-	31
		IFSC SBIN 0000370			Non Govt. 107043 = 6001/-	34
					Others 1997 = 5001/-	Total 1125/-
14/09/2004	SBT गंगपारा दुर्गा	7170 4676 35249412139	deshlahre jaya@ gmail.com	07/09/21	Govt. 80501 = 251/-	27
		IFSC SBIN 0000370			Non Govt. 107043 = 6001/-	30
					Others 2093 = 5001/-	Total 1125/-
06/07/2003	SBT गंगपारा दुर्गा	8409 9144 34689214484	Pragya sahu672 @gmail.com	27/09/21	Govt. 80501 = 251/-	88
		IFSC SBIN 0000370			Non Govt. 107043 = 6001/-	91
					Others 2054 = 5001/-	Total 1125/-

क्रमांक	पुत्र/पुत्री	पिता/माता का नाम	लिंग	जाति	10th	12th	सि.नं.
SM-113	पुत्र	प्रकाश देशमुख	M	OBC	2019	2021	626757872
13		श्रीमती रामेश्वरी देशमुख श्री दिलीप कुमार देशमुख		कुर्बी	70%	84.4	A+
SM-114	पुत्र	कन्हैया लाल	M	OBC	2019	2021	7828848513
14		श्रीमती सुनीता लाल श्री अशोक कुमार श्री चिरवला एस कुर्बी		ब्राह्मण	475	396	0+
					60	500	
SM-115	पुत्री	गीताजली	F	OBC	2019	2021	9301349470
15		श्रीमती हेमलता श्री रविमलाल श्री एसदा श्री लाल कुर्बी		तेली	544	455	
					60	500	
SM-116	पुत्री	लारणी साहू	F	OBC	2019	2021	9302911684
16		श्रीमती - हीराबाई साहू श्री किरण कुमार साहू श्री डीडी श्याम-बेरी बिलासपुर (छ.ग.)		तेली	443	453	
					60	500	
SM-117	पुत्र	सुतन कुमार साहू	M	OBC	2019	2021	6268466619
17		श्रीमती उज्वारी साहू श्री परमार्थ साहू श्री डीडी श्याम बेरी बिलासपुर		तेली	458	441	BT
					60	500	
SM-118	पुत्री	वीणा साहू	F	OBC	2019	2021	6268675851
18		श्रीमती शशी साहू श्री मनीष साहू श्री डीडी श्याम बेरी बिलासपुर		तेली	363	300	-
					60	500	

जन्म तिथि	बैंक का नाम	आधार नंबर	ईमेल	सीक उमांक	रिजि
16/04/2003	SBI गजपारा कुर्बी	6729 8456 35066342654 IFSC SBIN0000370	prakashk deshmukh 076 @ gmail.com	07/09/2021 Govt. 80502 38 = 140/- Non Govt. 107044 40 = 600/- Other - 2103 = 500/- Total 12401/-	
20/08/2003	ग्रोव सहाकारी केंद्रीय बैंक मयूरगढ़ नगर	9171 8708 101004624655 UTIBOSJSD01	vkankai ya192 @ gmail.com	14/09/2021 Govt. 80502 46 = 240/- Non Govt. 107044 49 = 600/- Other - 2112 = 500/- Total 12401/-	
13/08/2003	SBI KTOsk Banking	3696 2977 7946 35406977907 SBIN0016596	neetusahu 932 @ gmail.com	22/09/21 Govt. 80505 10 = 25/- Non Govt. 107047 13 = 600/- Other 2379 = 500/- Total 11251/-	Blond group
01/09/2003	SBI गजपारा	7949 5551 34314370112 6492 SBIN-0000370	gitanjali sahu280 807 @ gmail.com	22/09/2021 Govt. 80505 29 = 25/- Non Govt. 107047 32 = 600/- Other 2395 = 500/- Total 11251/-	
27/01/2003	SBI गजपारा	8474 7448 5241 35082412023 SBIN0000370	vishwashe sahu146 @gmail.com	24/09/2021 Govt. 80505 57 = 140/- Non Govt. 107047 59 = 600/- Other 2422 = 500/- Total 12401/-	
18/06/2002	ग्रोव सहाकारी बैंक मयूरगढ़ नगर	7760 0606 9947 1698010132947 UTBIORS6689	sahudadu 30 @ gmail.com	27/09/21 Govt. 80506 60 = 25/- Non Govt. 107048 63 = 600/- Other 2526 = 500/- Total 11251/-	Bank Pass ?

क्रमांक	पंजीकृत नाम	पिता/माता का नाम	लिंग	जाति	10th	12th	मोबाइल नंबर
SM-119	डिंपल		F	OBC	2019	2021	7389514033
19	श्रीमती मोहनी	श्री अमोल लाल		तैली	505	458	BT
	ग्राम-चीचा पो-चीचा	दहो बारी धामधुवा			600	500	
SM-120	रिवलेश कुमारसाह		M	OBC	2019	2021	7389212669
20	श्रीमती कुसुमबाईसाह	श्री राधकालसाह		तैली	480	443	OT
	ग्राम-डेहकी पो-चीचा	दहो बारी धामधुवा			600	500	
21							
22							
23							
24							

क्रमांक	बैंक का नाम	आधार	डिपॉजिट	2सीएस कांक	रिपोर्ट
30	SBT	गंजपारा दुर्ग	dimpal	27/09/2021	
07	SBT	गंजपारा दुर्ग	shahu07	Govt - 80506	
2003			2003 @	20	
			gmail.com	Non 107048	
				23 = 600	
				oth 2486 = 500	
				1125/-	
03	SBT	गंजपारा दुर्ग	khilish	28/09/2021	
2003			sahu01	Govt 80506	
			03 @	82	
			gmail.com	Non 107048	
				85 = 600	
				oth 2548 = 500	
				-1240/-	